

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, फूलियाकला जिला भीलवाडा (राज.)

पीठासीन अधिकारी - ओमप्रकाश (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या - 504/2025

दायर दिनांक - 10.12.2025

उनवान

1. श्री भैरू लाल पुत्र भुरा जाति ढोली उम्र 52 वर्ष निवासी सांगरिया तहसील फूलियाकला जिला भीलवाडा।

----- प्रार्थी

बनाम

- 1 श्री रामसुख पुत्र कल्याण जाति कुमावत उम्र वयस्क निवासी सांगरिया।
- 2 श्री कैलाश पुत्र उरजन जाति कुमावत उम्र वयस्क निवासी सांगरिया।
- 3 श्री देवकरण पुत्र राजू जाति कुमावत उम्र वयस्क निवासी सांगरिया।
- 4 श्री अम्बालाल पुत्र हीरा उम्र वयस्क निवासी सांगरिया।
- 5 श्री कालुराम पुत्र हीरा जाति कुमावत उम्र वयस्क निवासी सांगरिया।
- 6 श्री घीसू पुत्र नंदा जाति कुमावत उम्र वयस्क निवासी सांगरिया।
- 7 श्री सत्यनारायण पुत्र कैलाराम कुमावत उम्र वयस्क निवासी सांगरिया।
- 8 श्री प्रहलाद पुत्र मोहन कुमावत उम्र वयस्क निवासी सांगरिया।
- 9 श्री छोटु पुत्र रामनाथ कुमावत उम्र वयस्क निवासी सांगरिया।
- 10 श्री सीताराम पुत्र हीरालाल बैरवा उम्र वयस्क निवासी खेडा राजपुरा।
- 11 श्रीमती लाड देवी पत्नि कमलेश रेगर उम्र वयस्क निवासी सांगरिया।
- 12 श्रीमान तहसीलदार सा. तहसील फूलियाकला जिला भीलवाडा।

----- (अप्रार्थीगण)

उपस्थित-

प्रार्थी अधिवक्ता----- श्री विजय पाराशर

प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 111, 128, रा.भू.राजस्व अधिनियम 1956 बाबत कराने पत्थरगढ़ी आराजीयात

आदेश

दिनांक - 06.05.2026

प्रार्थीगण की ओर से एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 रा.भू.राजस्व अधिनियम 1956 इस न्यायालय मे प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वाके ग्राम सांगरिया पटवार हल्का सांगरिया भू अभिलेख निरीक्षक धनोप तहसील फूलियाकला जिला भीलवाडा में प्रार्थीगण की खातेदारी अधिकार की खतौनी सं. नई 526 व पुरानी 534 में आराजी नं. 2812, 2813, 2867 कुल कीता 03 कुल रकबा 1.4300है0 स्थित है। उक्त वादग्रस्त भूमि के विपक्षीगण पड़ोसीगण हैं। प्रार्थी एवं विपक्षीगण के मध्य आराजीयात के सीमा चिह्न नही होने से आये दिन सीमा संबंधी विवाद उत्पन्न होता रहता हैं। जिससे कि प्रार्थी अपने खाते की कृषि भूमि की पत्थरगढ़ी कराना चाहता हैं। प्रार्थनापत्र स्वीकार किया जाकर पत्थरगढ़ी का आदेश प्रदान कराया जावे।

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र इस न्यायालय मे दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षीगणों को वजह जाहिर करने हेतु नोटिस जारी किये गये। अप्रार्थीगण संख्या 01 ता 12 के विरुद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। अप्रार्थी श्री कृष्ण गोपाल पुत्र भूरा को प्रार्थी के निवेदन पर इनके विरुद्ध कोई कार्यवाही नही चाहने पर डिलीट किया गया। अतः प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर प्रार्थी को सुना गया। प्रकरण के अवलोकन से यह तथ्य प्रमाणित हैं कि वादग्रस्त भूमि प्रार्थी के खाते की कृषि भूमि हैं और इस प्रकार न्यायिक दृष्टि से एक खातेदार अपने खाते की कृषि भूमि की पत्थरगढ़ी कराने का हकदार हैं अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थी के न्याय हित में स्वीकार योग्य प्रतीत होता है।

आदेश

प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र विरुद्ध विपक्षीगण आंशिक स्वीकार किया जाकर वाके ग्राम सांगरिया पटवार हल्का सांगरिया भू अभिलेख निरीक्षक धनोप तहसील फूलियाकला जिला भीलवाडा में प्रार्थीगण की खातेदारी अधिकार की खतौनी सं. नई 526 व पुरानी 534 में आराजी नं. 2812, 2813, 2867 कुल कीता 03 कुल रकबा 1.4300है0 भूमि की पत्थरगढ़ी बसामलात पक्षकारान की जाने का आदेश पारित किया जाता है। उक्त आदेश की पालना के लिए भू-अभिलेख निरीक्षक धनोप को नियमानुसार फीस पर कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। कमिश्नर फीस प्रार्थी द्वारा अदा की जायेगी। भू-अभिलेख निरीक्षक पत्थरगढ़ी से न्यूनतम तीन दिन पूर्व सभी पड़ोसियान को उपरोक्त आराजीयात की पत्थरगढ़ी हेतु लिखित सूचना पत्र से समय एवं तिथि बाबत सूचित करेंगे। विवादित सीमा मे आने वाले खातेदार को पक्षकारान नही बनाने की स्थिति मे, किसी भी न्यायालय से आराजीयात पर स्थगन होने की दशा में तथा मौके पर खड़ी फसल होने की स्थिति में तथा राजहित प्रभावित होने की दशा में, किसी पक्षकारान की मृत्यु हो जाने से पत्थरगढ़ी नहीं की जावें। पक्षकारान उभयपक्ष की मौजूदगी में ही पत्थरगढ़ी की जावें। मुस्तकीन बिन्दू को आधार मानकर पत्थरगढ़ी किए जाने का आदेश प्रदान किया जाता है। उक्त पत्थरगढ़ी के दौरान किसी विपक्षी/अन्य खातेदार के कब्जे वाली आराजी में पत्थरगढ़ी हो जाती है तो उक्त आराजी प्रार्थी के स्वामित्व का घोटक नही है। अतः प्रार्थी को इच्छित अनुतोष प्राप्त करने हेतु विधि अनुसार सक्षम न्यायालय में वाद दायर करना होगा। बैंक हित अप्रभावित रहेगें। आदेश की प्रति पालनार्थ तहसीलदार फुलियाकला को भिजवाई जावे। खर्चा फरीकेन अपना अपना वहन करें। पत्रावली फैंसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

यह आदेश आज दिनांक 06.05.2026 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(ओमप्रकाश)

उपखण्ड अधिकारी
फूलियाकला जिला भीलवाडा